

प्रेस-नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 05.09.2023

01 नफर वांछित गैंगेस्टर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप के रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, **थानाध्यक्ष** राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना राजघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 265/2023 धारा 3(1) यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंगेस्टर अजय निषाद पुत्र राजकुमार निवासी चकरा अव्वल मुक्तिधाम के पास थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – अभियुक्त गैंग लीडर रविन्द्र निषाद पुत्र स्व0 सुन्दर निषाद उर्फ भगाने तथा गैंग के सदस्य अजय निषाद व विजय निषाद पुत्रगण रामकुमार व सनी निषाद पुत्र रामसिंह के साथ मिलकर दिनांक 13.08.2022 को अपने चाचा की जमीन जबरजस्ती कब्जा करने के लिए उनके परिवार वालों पर जानलेवा हमला किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना राजघाट पर मु0अ0सं0 217/2022 धारा 120बी, 307, 323, 325, 504, 506 भादसं0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना से उक्त अभियोग में आरोप पत्र दाखिल किया गया। गैंगलीडर तथा उसके सदस्यों द्वारा लगातार समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हुए आम जन मानस को डरा धमका कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की जा रही थी तथा इन लोगों का समाज में आतंक व्याप्त है, गैंग पर अंकुश लगाने के लिए गैंग चार्ट के अनुमोदन के पश्चात थाना राजघाट पर मु0अ0सं0 265/2023 धारा 3(1) यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा 10 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था। कल दिनांक 05.09.2023 को थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह मय हमराह मुखबिर की सूचना सूचना पर लकड़मण्डी चौराहे से से अभियुक्त अजय निषाद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता –

अजय निषाद पुत्र राजकुमार निवासी चकरा अव्वल मुक्तिधाम के पास थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी -

एक अदद यू0पी0 53 डी.एस. 8906 पल्सर शीजशुदा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 29ए/2012 147, 148, 149, 307, 352, 324, 506 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- मु0अ0सं0 202/2022 धारा 323, 504, 506 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3- मु0अ0सं0 217/2022 धारा 120बी, 307, 323, 325, 504, 506 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

- 4- मु0अ0सं0 265/2023 धारा 3(1) यूपी गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 2- उ0नि0 शेरबहादुर यादव चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3- उ0नि0 राजवंश सिंह चौकी प्रभारी अमरुद बाग थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 4- का0 सुजीत यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 5- का0 नबी रसूल शाह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 6- का0 कुन्दन कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 7- म0आ0 अफसाना खातून थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।